हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

टी0आई0–13/16, रामस्वरूप बनाम लेण्ड होल्डर

नम्बर व तारीख जहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। बहस वकील सायल एवं प्रतिनिधि गैरसायल सुनी गई। वकील सायल का कथन है कि आराजी साबिक खसरा नंबर 118/11 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम कमालपुर सायल के पिता एवं सायल नंवर 2 के पति सुवा के नाम नामान्तरकरण दर्ज करके खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। इस भूमि पर सुवा एवं उसके वाद सायलान का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक खसरा नंबर 118/11 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम कमालपुर का नया खसरा नंबर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट ने खसरा नंबर 246 रकबा 0.66 हेक्टर कायम किया है जो गत के मुकाबले कम है। यह कमी रकबा हाल खसरा नंबर 246/373 रकबा 0.15 हेक्टर व 244 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म चरागाह में दर्ज कर दिया है जो साबिक खसरा नंबर 118/11 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा का ही भाग है। यह तथ्य साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है। भूमि चारागाह दर्ज होने के कारण सायलान के विरूद्ध तहसीलदारजी द्वारा धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है जो गलत है। अतः गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि हालखसरा नंबर 246/373 रकबा 0.15 हेक्टर, 244 रकबा 0.05 हेक्टर ग्राम कमालपुर में सायलान के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें जबकि पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नंबर 118/11 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम कमालपुरा हाल खसरा नंबर 246 रकबा 0.66 हेक्टर बनाया गया है तथा अन्य कोई खसरा नंबर इसमें शामिल नहीं है। दौराने सेटलमेंट वादी के कब्जे अनुसार रकबा बनाया गया है। जिस पर वादी द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है। चरागाह भूमि पर किसी भी काश्तकार का हक हकूक नहीं है। वादी द्वारा चारागाह भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमारी विनम्र राय में यह तो दावा में विस्तृत साक्ष्य एवं विस्तृत विवेचन के उपरांत ही तय किया जाना संभव होगा कि सायल का किस– किस खसरा नंबरान पर कब्जा काश्त है एवं सायल के नाम दर्ज साबिक भूमि का रकबा हाल किन–किन खसरा नंबरान में गया है किन्तु सायल द्वारा जिस पर भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है उसकी किस्म चारागाह है एवं चारागाह भूमि राजस्थान

Scanned by CamScanner

टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अतः प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित नहीं होने के कारण एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक–21.03.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner